

आवेदक पुष्पेन्द्र की ओर से श्री जी०एस०गुर्जर अधिवक्ता ।

अनावेदक अर्निवाहित ।

प्रकरण में आवेदक की ओर से पेश आवेदनपत्र पर सुना गया । उपरोक्त आवेदन के माध्यम से आवेदक ने इस न्यायालय के अधिनिर्णय दिनांक 31-1-2000 में आवेदक को दिलवायी गयी क्षति पूर्ति की राशि जिसकी की एफ०डी०आर० बनाकर क्लेम खाते में जमा की गयी है उसकी अवधि दिनांक 30-8-16 को पूर्ण होने से उसका भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया है ।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया । अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय के क्लेम प्रकरण क्रमांक 15/99 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 31-1-2000 के अनुसार आवेदक को दिलायी क्षतिपूर्ति राशि में से 25000/-रुपये की राशि स्टेट बैंक आफ इन्दौर गोहद में एफ०डी०आर० क्र० 413850/148/00 दिनांक 30-8-16 तक की अवधि के लिये एफ०डी०आर० की गयी थी जिसकी की समय सीमा पूर्ण हो चुकी है । आवेदक के वालिग होने के संबंध में उसकी ओर से आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की है जिसमें उसकी जन्म तिथि 01-01-1996 अंकित है जिसके अनुसार भी आवेदक वर्तमान में वालिग होना प्रकट होता है । अतः आवेदक की ओर से पेश आवेदन स्वीकार कर आवेदक के नाम से उपरोक्त 25000/-रुपये की एफ०डी०आर० का भुगतान किये जाने का आदेश दिया जाता है । उपरोक्त आशय की टीप एफ०डी०आर० पर अंकित की जाये ।

परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकार्ड हो ।

ए०एम०ए०सी०टी०गोहद